# डिस्कलेमर

आदेश संख्या 04/2022-23 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

**फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/गोवा/सीपी-III/2021-26**

**आदेश संख्या 04/ 2022-23**

# भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

## गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा (जीओआई) के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

**जारी करने की तारीख: 03 जून, 2022**

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

## 15 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

### अध्याय 3 : द्वितीय नियंत्रण अवधि अवधि के लिए टूअप

3.9.1 प्राधिकरण तालिका 10 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए अतिरिक्त पूंजीगत परिवर्धनों को मानने का निर्णय लेता है।

3.9.2 प्राधिकरण तालिका 11 में उल्लेख किए अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानने का निर्णय लेता है।

3.9.3 प्राधिकरण तालिका 12 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए आरएबी को मानने का निर्णय लेता है।

3.9.4 प्राधिकरण तालिका 14 में बताए अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के प्रयोजन से गैर–वैमानिक राजस्व को मानने का निर्णय लेता है।

3.9.5 प्राधिकरण तालिका 20 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के प्रयोजन से प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानने का निर्णय लेता है।

3.9.6 प्राधिकरण दिनांक 05 मार्च, 2019 के इसके आदेश संख्या 42/2018-19 के अनुसार गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे द्वारा प्रथम और द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए दावा किए गए भूमि पर प्रतिलाभ को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है।

3.9.7 प्राधिकरण तालिका 23 में दिए गए विवरण के अनुसार गोवा हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए एआरआर और कमी को मानने तथा कमी को तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पुन:समायोजित करने का निर्णय लेता है।

### अध्याय 4: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

4.6.1 गोवा हवाईअड्डे के लिए तालिका 28 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम और यात्री यातायात को मानना।

4.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम और यात्री) को टूअप करना।

### अध्याय 5: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) और मूल्यह्रास

5.6.1 प्राधिकरण तालिका 30 में दिए गए विवरण के अनुसार 01 अप्रैल, 2021 को परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक का वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आंबटन करने का निर्णय लेता है।

5.6.2 प्राधिकरण तालिका 39 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करने का निर्णय लेता है।

5.6.3 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूंजीगत व्यय को टूअप करना।

5.6.4 टैरिफ आदेश में दी गई अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार (पैरा संख्या 5.2.11 के अनुसार) किसी विशिष्ट पूंजीगत परियोजना के पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में तृतीय नियंत्रण अवधि का टूअप करने के समय एआरआर/ लक्ष्य राजस्व से परियोजना लागत के अपूंजीकृत भाग की 1% राशि कम (समायोजित) करना।

5.6.5 प्राधिकरण तालिका 40 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास निश्चित करता है।

5.6.6 प्राधिकरण गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 41 के अनुसार आरएबी को मानने का निर्णय लेता है।

### अध्याय 6 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

6.6.1 प्राधिकरण तालिका 45 के अनुसार 6.21% ऋृण की लागत को मानने का निर्णय लेता है।

6.6.2 प्राधिकरण तालिका 46 के अनुसार 14% ईक्विटी की लागत को मानने का निर्णय लेता है।

6.6.3 प्राधिकरण गोवा हवाईअड्डे के लिए तालिका 48 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.52% प्रतिलाभ की उचित दर को मानने का निर्णय लेता है।

6.6.4 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के कार्य के दौरान एफआरओआर को टूअप करना।

**अध्याय 7 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति**

7.5.1 भारतीय रिजर्व बैंक के वृहत आर्थिक संकेतकों संबंधी व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्त्ताओं के 69वें सर्वेक्षण में दिए गए वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के मध्यम डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति पूर्वानुमानों के औसत के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 4.9% डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति को मानना।

**अध्याय 8: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर वैमानिक राजस्व**

8.6.1 प्राधिकरण गोवा हवाईअड्डे के लिए तालिका 53 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानने का निर्णय लेता है।

**अध्याय 9: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय**

9.6.1 गोवा हवाईअड्डे के लिए तालिका 61 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

**अध्याय 10 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान**

10.5.1 प्राधिकरण गोवा हवाईअड्डे के लिए तालिका 64 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानने का निर्णय लेता है।

**अध्याय 11: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए भूमि लागत पर प्रतिलाभ**

11.5.1 तालिका 66 के अनुसार वैमानिक कार्य-कलापों के लिए प्रयुक्त भूमि क्षेत्र को मानना।

11.5.2 तालिका 68 के अनुसार भूमि पर प्रतिलाभ को मानना।

**अध्याय 12: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता**

12.5.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

**अध्याय 13 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए के कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)**

13.5.1 प्राधिकरण गोवा हवाईअड्डे के लिए तालिका 72 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और मुनाफे को मानने का निर्णय लेता है।

**अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व**

14.6.1 गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 78 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

14.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

## 16 आदेश

16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा संलग्नक-I में दर्शाए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

16.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अंतर्गत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

16.3 इसमें निर्धारित टैरिफ, करों, यदि कोई हो, को छोड़कर उच्चतम दरें हैं।

16.4 यह आदेश 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगा।

16.5 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) प्राधिकरण के दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए इसका एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर पेश करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

सेवामें,

अध्यक्ष**,** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110 003

**प्रतिलिपि,**

1. **सचिव**, नागर विमानन मंत्रालय
   राजीव गांधी भवन,
   सफदरजंग हवाईअड्डा,
   नई दिल्ली – 110 003

2. **नागर विमानन महानिदेशालय**, एआईसी जारी करने के लिए